

हिन्दी/मराठी दैनिक

देशाप्रदेश केसरी

निष्ठा, निर्भीड समाचार पत्र

NATIONAL DAILY NEWSPAPER



एमएसएमई के लिए और सरल कानूनों की जरूरत, व्यापार वातावरण को सरल बनाने पर जोर

नागपुर, बिज़नेस कनेक्ट। देश के कानूनी और नियामक ढांचे में तेजी से परिवर्तन जारी है। केंद्र सरकार व्यापार करने में आसानी, त्वरित विवाद निस्तारण और निवेश-अनुकूल माहौल तैयार करने पर लगातार काम कर रही है। इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि विशेषकर एमएसएमई सेक्टर के लिए कानूनों को और अधिक सरल और सुगम बनाने की आवश्यकता है। एयू कॉरपोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज के संस्थापक अक्षत खेतान ने कहा कि एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए इनके लिए मजबूत और सरल कानूनी संरचना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आज कानून बाधा नहीं, बल्कि व्यापार का “सशक्त साझेदार” बन चुका है।

पारदर्शी, पूर्वानुमेय और बिजनेस-फ्रेंडली कानूनी व्यवस्था भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ा रही है। खेतान ने बताया कि उनकी कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 950 कंपनियों को कानूनी राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि उत्पादन और बिक्री से जुड़े क्षेत्रों के साथ-साथ अब सर्विस सेक्टर में भी विलय और अधिग्रहण के मामलों में 44 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। एमएसएमई में जागरूकता और मार्गदर्शन के लिए भी कंपनी लगातार प्रयासरत है। उन्होंने उल्लेख किया कि एमएसएमईडी अधिनियम के तहत भुगतान में देरी पर कड़ी कार्रवाई, एमएसई फेसिलिटेशन काउंसिल और एमएसएमई समाधान पोर्टल के माध्यम से त्वरित विवाद

निस्तारण, तथा आईबीसी के प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (PIIRP) जैसे प्रावधान छोटे उद्योगों के पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा एम एंड ए लेनदेन को सरल बनाने से एमएसएमई के विस्तार और निवेश के अवसर भी बढ़े हैं। खेतान ने यह भी कहा कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) केवल परिसमापन का कार्य नहीं करती, बल्कि ईमानदार व्यवसायों को बचाने और उन्हें पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नीतियों को और अधिक सरल बनाने से एमएसएमई सेक्टर और मजबूत होकर देश के आर्थिक विकास में नई ऊर्जा भर सकेगा।